2023/135

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री संजय कुमार सिंहल पुत्र श्री सूरजमल
निवासी प्रो. गायत्री स्टेशनरी
एण्ड जनरल स्टोर सदर बाजार आबूपर्वत
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 30 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.08.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 10.06.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी के परिवाद पर दौराने जांच उपखण्ड कार्यालय के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह बताया गया कि परिवाद में अंकित बिल जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के बकाया है, उपखण्ड कार्यालय के नहीं, उस अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक 958 दिनांक 09.01.2023 की प्रमाणित प्रति एवं अपीलार्थी के बकाया बिलों के भुगतान की कार्यवाही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के नाम से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 10.06.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी के परिवाद पर दौराने जांच उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह बताया गया कि परिवाद में अंकित बिल जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के बकाया है, उपखण्ड कार्यालय के नहीं, उस अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक 958 दिनांक 09.01.2023 की प्रमाणित प्रति एवं अपीलार्थी के बकाया बिलों के भुगतान की कार्यवाही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के नाम से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bl/sd (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner